

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत श्रीमान निदेशक, मा.शि.राज.बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/ कनि. सहा./2013/बैकलॉग/20-21/52-53 दिनांक 22.10.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-1A) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2013 के एस.सी./एस.टी बैकलॉग में चयनित निदेशालय, मा.शि.राज.बीकानेर द्वारा सिरोही जिले को आवंटित कनिष्ठ सहायकों द्वारा जिला स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय का चयन किये जाने के उपरान्त एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विभाग स्तर पर संलग्न सूची अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय (नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र) में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन पे मेट्रिक्स के लेवल-05 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में 02 वर्ष की अवधि के लिए नियमानुसार देय नियम मानदेय 14600/- (अक्षरे रूपये चौदह हजार छःसौ) प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विकल्प प्रस्तुत करने पर विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.03.2006 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत होगी एवं वित्त विभाग के आदेश एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017/जयपुर दिनांक 30.10.2017 के रूल्स 16 के तहत नियुक्ति तिथि से नियमानुसार पेंशन अंशदान कटौती होगी।

सम्बंधित संस्था प्रधान को इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक (कम्प्यूटर संबंधी) आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
4. अभ्यर्थी के विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे। अभ्यर्थी के नाम उपनाम में भिन्नता होने पर शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि यदि अभ्यर्थी के नाम/उपनाम में भिन्नता संबंधी भविष्य में कोई विवाद होता है तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा व उसकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी /ए-1A/95 दिनांक 08-04-2003 के अनुसार सम्बंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01-06-2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
6. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैद्यता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से

.....2/.....

विश्वकर्मा

- प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही हैं। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बंधित अभ्यर्थियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
 8. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार प्रमाण पत्र जो विवाह के पश्चात का बना हुआ है प्रस्तुत करे, तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाए।
 9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
 10. देहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अन्तर्गत नवनियुक्त कार्मिक से देहेज न लेने संबंधी निर्धारित भाषा में घोषणा पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11-11-2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

गंगा कलावन्त
(गंगा कलावन्त)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

क्रमांक: जिशिअ/मा/सि/स्थापन-2/2020/311

दिनांक 27-10-2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, मा.शि.निदेशालय बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, पाली
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
9. सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान, कार्यालय/राउमावि/रामावि/ बालिका.....
10. सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
12. रक्षित पत्रावली।






गंगा कलावन्त
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, सिरोही

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरौही

क्रमांक: जिशिअ/मा/सि/स्थापन-2/2020/311

दिनांक 27.10.2020

कनिष्ठ सहायक (नॉन टीएसपी क्षेत्र) जिला सिरौही

S.No.	Merit_No	Roll Number	Name	Father Name	GENDER	BIRTHDATE	SELECTED_CATEGORY	Posting Place	Block	Photo
1	18923	1383945	ARVIND KUMAR	HARI RAM	Male	09/07/1998	SC	राउमावि पीथापुरा एम	रेवदर	
2	19607	1872555	RAJESH KUMAR VERMA	BADARI LAL VERMA	Male	08/05/1987	SC	राउमावि सिंदरथ	सिरौही	
3	22827	2229407	SANDEEP SINGH PATEL	RAMJILAL MEENA	Male	14/11/1986	ST	राउमावि भेव	शिवगंज	
4	23035	1878737	NARAYAN MEENA	RADHA KISHAN	Male	15/06/1992	ST	राउमावि नवारा	सिरौही	
5	23211	2012929	RISHIKESH MEENA	RAMKRIPAL MEENA	Male	20/08/1998	ST	राउमावि मेरमाण्डवाडा	सिरौही	





राउमावि

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरौही

क्रमांक: जिशिअ/मा/सि/स्थापन-2/2020/311

दिनांक 27.10.2020

कनिष्ठ सहायक (नॉन टीएसपी क्षेत्र) जिला सिरौही

S.No.	Merit No	Roll Number	Name	Father Name	GENDER	BIRTHDATE	SELECTED_CATEGORY	Posting Place	Block	Photo
6	23264	1662185	KAMAL KUMAR MEENA	RANG LAL MEENA	Male	05/04/1993	ST	राउमावि सोरडा	रेवदर	
7	23381	1688519	LOKESH MEENA	KAMALA PRASAD MEENA	Male	01/07/1998	ST	राउमावि जैतावाडा	रेवदर	
8	23445	1575251	HORI LAL MEENA	MAHARAJ SINGH MEENA	Male	08/11/1990	ST	राउमावि निम्बज	रेवदर	
9	23498	1946690	RAM KISHAN MEENA	SHIV PAL MEENA	Male	15/09/1991	ST	राउमावि रायपुर	रेवदर	

डा. कल्याण कर्तव्य
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, सिरौही